

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला –176213

क्रमांक: हि.शि.बो.(39)/02/भाग-2/ 629-641

दिनांक 09.10.2018

अधिसूचना

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निजी शिक्षण संस्थानों के प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध करवाने के लिए कक्षा पाचवीं के लिए शुल्क रूपये 50/- प्रति छात्र व आठवीं के लिए शुल्क रूपये 100/- प्रति छात्र तथा कक्षा नवमी व जमा एक के सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रश्न पत्रों का शुल्क रूपये 100/- प्रति छात्र निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

कक्षा पाचवीं व आठवीं के सरकारी स्कूलों को प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को उपलब्ध करवाने के लिए पूर्ण खर्चा पूर्व की भाँति सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।



सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2 निदेशक, शिक्षा (उच्चतर व प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशालय, शिमला-1
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव अध्यक्ष/सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 4 अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/ परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/सहायक सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 5 अनुभाग अधिकारी संचालन शाखा दसवीं/जमा दो (लेटर सेट) और अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 सैल को अधिसूचना को बोर्ड की बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव